प्रेस नोट

थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक **22.04.2021** को जरिये मुखबिर खास ने आकर बताया कि एक ट्रक जिसका नम्बर **CG 04 JC 9656** जो कि रांची से चला है जिसमें खाली बोरिंयों के बण्डल बनाकर रखे गयें हैं उन्ही के बीच में भारी मात्रा में मादक पदार्थ नाजायज गांजा लदा हुआ है जिसे दिल्ली ले जाया जा रहा है जो कि प्रयागराज खागा होते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र हाईवे से होकर गुजरने वाला है यदि जल्दी किया जाये व चेकिंग लगाई जाये तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके थाना क्षेत्र में रवाना व थाने पर मौजूद पुलिस बल को हस्बुल तलब बुलाया गया जो उपस्थित आये जिन्हे सड़क किनारे एकत्रित कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया व गहन चेकिंग करते हुए जुमला फोर्स की मदद से एक बारगी दविश देकर ट्रक नम्बर **CG 04 JC 9656** को घेरघार कर पकड़ लिया गया। ट्रक चालक को नीचे उतारकर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम उज्जवल तिवारी पुत्र सच्चिदानन्द तिवारी निवासी ग्राम राजोगढी थाना लेस्लीगंज जिला पलामू झारखण्ड प्रदेश व हाल पता ग्राम बरखेता थाना बरवादीह जिला लातेहार झारखण्ड प्रदेश बताया। ट्रक का तिरपाल खुलवा कर चेक कराया गया तो ट्रक के अंदर भारी मात्रा में मादक पदार्थ अवैध गांजा जो एक निश्चित मात्रा में बंडल बनाकर प्लास्टिक की बोरियों में भरकर रखा गया है जिसमें से एक बंडल खोलकर भौतिक रूप से चेक किया गया तो मादक पदार्थ गांजा पाया गया बरामद संपूर्ण गांजा एक ही तरह के पैकिंग में है। जिससे गांजे की गंध आ रही है जो भारी मात्रा में है। कुल **40** बोरियों में रखे हुए पैकेट में बंद अवैध गांजा का कुल वजन **12** कुंतल **06** कि0ग्रा0 है। अभियुक्त से ट्रक के मालिक के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि साहब यह संजय सिंह का ट्रक है। अभियुक्त उज्जवल से गहराई से पूछताछ की गई तो बताया कि साहब यह ट्रक दूसरे ड्राइवर द्वारा भुवनेश्वर से चलकर रांची लाया गया तथा मेरे द्वारा रांची से दिल्ली ले जाया जा रहा था बरामद ट्रक को अंतर्गत धारा **207 MV Act** एप के माध्यम से सीज किया गया। बरामद माल के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 **272/2021** धारा **8/20/29/60 (3) NDPS ACT** पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त उज्वल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि बरामद अवैध गांजे की कीमत दिल्ली में लगभग ढाई करोड़ रूपये है गांजे के इस अवैध व्यापार में लिप्त अन्य लोगों के कड़ी को गहनता से खंगालकर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी अपर मुख्य सचिव गृह महोदय द्वारा बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को एक लाख रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गयी है।

बरामदगी-

1. अवैध मादक पदार्थ – **12** कुन्तल **06** किग्रा0 गांजा
2. एक अदद ट्रक नम्बर- **CG 04 JC 9656**
3. दो अदद मोबाइल फोन एक एन्ड्रायड व एक कीपैड
4. एक अदद डेबिट कार्ड व एक अदद ड्राइविंग लाइसेन्स
5. **10125/-** रू0 नगद

आपराधिक इतिहासः-

1. **मु0अ0सं0 272/2021 धारा 8/20/29/60 (3) NDPS ACT थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. **उज्जवल तिवारी पुत्र सच्चिदानन्द तिवारी निवासी ग्राम राजोगढी थाना लेस्लीगंज जिला पलामू झारखण्ड प्रदेश व हाल पता ग्राम बरखेता थाना बरवादीह जिला लातेहार झारखण्ड प्रदेश उम्र करीब 24 वर्ष**

<u>पुलिस टीम का विवरण</u>

1. SHO श्री सत्येन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार मिश्रा (स्वाट टीम प्रभारी)
3. उ0नि0 श्री सुनील यादव (सर्विलान्स टीम)
4. व0उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव
5. उ0नि0 श्री अनुरूद्ध कुमार द्विवेदी
6. उ0नि0 श्री शैलेश यादव
7. उ0नि0 उमाशंकर सिंह
8. उ0नि0 श्री संदीप तिवारी
9. उ0नि0 श्री रवि गौतम
10. हे0का0 राज कुमार पटेल
11. का0 विष्णु देव सिंह
12. का0 अभिजीत सिंह
13. म0का0 रिन्की जादौन
14. का0 शारदा प्रसाद शुक्ला
15. का0 दीपक कुमार
16. का0 दीपक सरोज
17. का0 अरुण कुमार
18. का0 जयपाल
19. का0 हर्ष तोमर
20. का0 विष्णु
21. का0 गणेश
22. का0 सन्दीप द्विवेदी

थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर